न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 172/2016

1 बिदामी देवी स्त्री पालाराम।
2 हवासिंह पुत्र पालाराम।
3 सुमेर सिंह पुत्र पालाराम।
4 भैरूरम पुत्र श्योनाथ।
5 कानाराम पुत्र किशनाराम।
6 गोपालराम पुत्र जोराराम।
7 भोलाराम पुत्र जोराराम (मृत)।
7/1 उर्मिला देवी बेवा भोलाराम।
7/2 मुकेश कुमार पुत्र भोलाराम।
7/3 रामसिंह पुत्र भोलाराम समस्त जति जाट निवासीगण गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7/4 सरोज पुत्री भोलाराम पत्नी मुकेश।
7/5 अंशु पुत्री भोलाराम स्त्री कमलेश कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण गोपालपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र श्रीराम।
2 जैतली स्त्री श्रीराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोडावास तहसील नीमकाथाना जिल सीकर।
3 रजोडी पुत्री श्रीराम पत्नी रामेश्वरलाल।
4 ग्यारसी पुत्री श्रीराम स्त्री ताराचन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 नीमली पुत्री श्रीराम स्त्री कजोडराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डेसवाल तन मावन्डा खुर्द मावन्डा रेल्वे स्टेशन के पास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 नानची पुत्री श्रीराम स्त्री ग्यारसीलाल।
7 धर्मली पुत्री श्रीराम स्त्री रघुवीर।
8 शान्ति देवी पुत्री श्रीराम स्त्री शीशराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी टिलावाली तन मरवण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 सुनिता पुत्री पालाराम स्त्री सत्यनारायण।
10 सुन्दर देवी पुत्री श्योनाथ स्त्री भोलाराम (मृत)।
10/1 हरिसिंह पुत्र भोमाराम।
10/2 ख्यालीराम पुत्र भोमाराम।
10/3 सुरेश कुमार पुत्र भोमाराम।
10/4 किताब पुत्री भोमाराम पत्नी करणसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी हेमावाली तन हरडया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
11 पतासी देवी पुत्री श्योनाथ स्त्री फुलाराम जाति जाट निवासी गाढ़ी माढा वाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
12 छोटी उर्फ सन्तोषा पुत्री श्योनाथ स्त्री अमीलाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी कुशलावाली तन मावन्ड़ा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
13 श्रवणी पुत्री किशनाराम स्त्री महावीर।
14 प्रभाती पुत्री जोरूराम स्त्री अमरसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मुराजपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
15 सजना पुत्री जोरूराम स्त्री रामनारायण।
15/1 दलीप पुत्र रामनारायण।
15/2 फुली पुत्री जोरूराम स्त्री श्योराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी कुशलावाली तन मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
15/3 किरण पुत्री रामनारायण स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढ़ाणी डीमा की तन हरडिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 प्रकाशचन्द पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.1979
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
बसिलसिले दावा अनुवानी श्रीराम बनाम पालाराम
मुकदमा नम्बर कुछ नही दावा इस्तकरार व दुरूस्ती
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 13/1981 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.1979 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 479 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 480/727 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 483 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 484 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 684,685/1022,686, 692, 739, 740, 741,742 व 743 कुल किता 9 कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर तन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ग्राम गोडावास तहसील नीमकाथाना स्थित है। जो कोठी स्वामी वाली के जाव के नाम से अलमशहुर है। उपरोक्त विवादित आराजीयात अर्थात कोठी स्वामी वाला का जाव की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 17 की पैतृक व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जो अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 17 की पैतृक व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जो अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 17 के पूर्वज बींजाराम के खातेदारी की भूमि है। बींजाराम की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर खातेदारी बींजाराम के पुत्रगण श्योनाथ,अर्जुन, किशनाराम व जोरूराम के हक में अंकित हो गई तथा श्योनाथ की मृत्यु के बाद खातेदारी उसके पुत्रगण पालाराम व भैरूराम के हक में अंकित हो गई तथा किशनाराम की मृत्यु के बाद खातेदारी उसके पुत्र कन्हैयालाल के हक में अंकित हो गई तथा अर्जुन पुत्र बींजाराम के निःसन्तान मृत्यु होने पर उसके 1/4 भाग की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 183 सन् 1977 पालाराम, भैरूराम पुत्रगण श्योनाथ के हक में 1/3 की व कन्हैयालाल पुत्र किशनाराम के हक में 1/3 भाग की व जोराराम पुत्र बींजाराम के हक में 1/3 भाग की खातेदारी अंकित हो गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 लगायत 8 के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 2 के पति श्रीराम ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 17 की भूमि हड़प करने की नियत से एक सर्वथा झुठा व मनगढ़न्त तथ्यो के आधार पर एक आधारहीन दावा इस्तकरार व दुरूस्ती विचारण न्यायालय नीमकाथाना में दावा अनुवानी श्रीराम बनाम पाला आदि दिनांक 19.07.1979 को प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के विरूद्व कानून दिनांक 24.09.1979 को डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों में केवल जमाबंदी संवत 2031 से 2036 प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही किया है। केवल मात्र एक जमाबंदी के आधार पर वाद डिक्री किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामील बिना न्यायालय आदेश के चस्पादंगी से करवाया जाना भी विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार नही बनाया गया है। इसके अभाव में घोषणा का वाद डिक्री किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है। वादी द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था जबकि अपीलांट विवादित भूमि के 1/2 के खातेदार अर्जुन के उत्तराधिकारी होने के कारण प्रभावित पक्षकार है। पक्षकार नही होने से अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय राजीनामे के आधार पर पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा विधि सम्मत नही माना जा सकता है क्योंकि राजीनामे की पुस्त पर अपीलांट के पूर्वज पालाराम, जोरूराम, कानाराम के हस्ताक्षर अंगुठा निशानी नही है, राजीनामा तस्दीक के अंकन में पक्षकारों की उपस्थिति का अंकन भी नही है। केवल मात्र अधिवक्तागण के हस्ताक्षर है। ऐसा राजीनामा विधि सम्मत नही होने से इसके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय न्यायोचित नही माना जा सकता है। अत आवेदन धारा 5, धारा 96 एवं अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 479 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 480/727 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 483 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 484 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 684,685/1022,686, 692, 739, 740, 741,742 व 743 कुल किता 9 कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर तन ग्राम गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर स्थित है उक्त आराजीयात की लगान रसीद श्रीराम के नाम से सदैव से बनती आ रही है। अपीलांट संख्या 2,3,4,5 व रेस्पोडेंट संख्या 9 को भी उसी समय ग्राम गोडावास की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमियों का मुआवजा प्राप्त किया है इस प्रकार अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से ही रही है। विवादित आराजीयात के सम्बंध में अपीलांट संख्या 5 व 6 तथा मृतक जोराराम व पालाराम ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता श्रीराम के हक में सावन सुदी ग्यारस संवत 2036 दिनांक 04.08.1979 को यादास्ती बात लिखावट लिखकर अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की है अतः अपीलांट को विवादित आराजीयात की खातेदारी व कब्जे के सम्बंध में जानकारी शुरू से रही है। अपीलांट विवादित भूमि में प्रभावित पक्षकार नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पूर्वजों ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। यह राजीनामा विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया है। राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री के विरूद्व अपील आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अन्तर्गत पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील धारा 5 एवं धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों केवल जमाबंदी संवत 2031 से 2036 प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। केवल मात्र एक जमाबंदी के आधार पर वाद डिक्री किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामील बिना न्यायालय आदेश के चस्पादंगी से करवाया जाना भी विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार नही बनाया गया है। इसके अभाव में घोषणा का वाद डिक्री किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय राजीनामे के आधार पर पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा विधि सम्मत नही माना जा सकता है क्योंकि राजीनामे की पुस्त पर अपीलांट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरठ अपील अधिकारी
सीकर

पूर्वज पालाराम, जोरूराम, कानाराम के हस्ताक्षर अंगुठा निशानी नही है, राजीनामा तस्दीक के अंकन में पक्षकारों की उपस्थिति का अंकन भी नही है। केवल मात्र अधिवक्तागण के हस्ताक्षर है। ऐसा राजीनामा विधि सम्मत नही होने से इसके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय न्यायोचित नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था जबकि अपीलांट विवादित भूमि के 1/2 के खातेदार अर्जुन के उत्तराधिकारी होने के कारण प्रभावित पक्षकार है। पक्षकार नही होने से अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी है। अत न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है एवं धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार परं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्याायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर